निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाया गए विकल्प:

- निर्वाचन आयोग ने वैकल्पिक रूप से सुझाव दिया है कि यदि मौजूदा प्रावधानों को बरकरार रखा जाता है, तो दो सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस सीट के लिए उप-चुनाव का खर्च वहन करना चाहिए जिसे उम्मीदवार दोनों सीटों पर जीत हासिल करने की स्थिति में खाली करने का फैसला करता है।
- ऐसी स्थिति में पुनः चुनाव करने में विधानसभा चुनाव के लिए 5 लाख रुपये और संसद चुनाव के लिए 10 लाख रुपये व्यय हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के विचार:

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2017 में नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक उम्मीदवार के कई सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रथा राजकोष पर एक अतिरिक्त भार है, क्योंकि इस स्थिति में उपचुनाव कराए जाने की आवश्यकता होती है। धारा 33(7) को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 33(7)
3. एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने से संबंधित कानून।

मेंस लिंक: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) के महत्व पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: हिंदू।

विषय:विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व।

1. राष्ट्रपति चुनाव के लिए 17 विपक्षी दलों का संयुक्त उम्मीदवार

संदर्भ: राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने पर विचार-विमर्श हेतु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित बैठक में 17 विपक्षी दलों ने भाग लिया।

राष्ट्रपति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान के भाग V (संघ) के अध्याय I (कार्यकारिणी) के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचन और महाभियोग संबंधी प्रावधानों को सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत का राष्ट्रपति 'भारत गणराज्य' का प्रमुख होता है।
- राष्ट्रपति, भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है और भारतीय सशस्त्र बलों का 'कमांडर-इन-चीफ' भी होता है।
- अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का निर्वाचन।
- अनुच्छेद 55: राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति।
- अनुच्छेद 56: राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल।
- अनुच्छेद 57: पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता।
- अनुच्छेद 58: राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता।

राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है?

- भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक 'निर्वाचक मंडल प्रणाली' के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विधि-निर्माताओं द्वारा मतदान किया जाता है।
- राष्ट्रपति चुनाव, भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा आयोजित और निगरानी में किए जाते हैं।